

बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

कार्यालय आदेश संख्या.....१४...../2025
सं०सं० अ०नि० (02) 54/2025/नि०सं०

वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1956(24) दिनांक 03.12.2025 द्वारा प्राप्त उपार्जित अवकाश अदेयता प्रतिवेदन के आलोक में श्री प्रभात कुमार, मुख्य अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, दरभंगा को बिहार सेवा संहिता के नियम-227 एवं 230 के अन्तर्गत पुत्री की शादी हेतु दिनांक 17.11.2025 से 16.12.2025 तक कुल 30(तीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इसमें सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विशेष सचिव-सह-प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांक: अ०नि० (02) 54/2025/नि०सं०.....११६.....

दिनांक.....१२/११/२०२५.....

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, दरभंगा/मुख्य अभियोजक, दरभंगा/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/श्री प्रभात कुमार, मुख्य अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव-सह-प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांक अ०नि० (02) 54/2025/नि०सं०.....११६.....

दिनांक.....१२/११/२०२५.....

प्रतिलिपि:- प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव-सह-प्रभारी निदेशक।

